

प्रेषक,

राम नेवास,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर, 2017

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की निकाय-हरवंश मोहाल की 01 परियोजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-एन-11027/34/2016-एचएफए-1(एफटीएस-16509), दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2712/76/एक/आर.ए.वाई./2014-15, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की नगर निकाय-हरवंश मोहाल की अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 48 नये आवासों एवं 70 अस्थाई ट्रांजिट हाउस की 01 परियोजना, जिसकी ₹ 0 433.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-281/26-व0प्र0-14-20(आरएवाई-83)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) की धनराशि ₹ 0 164.17 लाख (₹ 0 एक करोड़ चौसठ लाख सत्रह हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिवर्णों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ 0 में)

क्रो सं०	जनपद/ परियोजना/कुल आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों आवासों संख्या।	भारत के आवासों की संख्या।	सरकार की कुल परियोजना लागत।	₹०एक०स०० द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत।	₹०एक०स०० द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में अवस्थापना सुविधा व अन्य चार्जें सहित स्वीकृत की जा रही धनराशि। (केन्द्रांश व राज्यांश)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	कानपुर नगर/हरवंश मोहाल-48 नये आवास व 70 अस्थाई ट्रांजिट हाउस	48 नये आवास व 70 अस्थाई ट्रांजिट हाउस	462.62	378.22	378.22	141.89	
	योग		518.31		433.91	164.17	

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा शासन/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिवर्णों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में द्यय की जायेगी।

क्रमांक:.....2

प्री. भौति / कानपुर आद्या
५३ अक्टूबर २०१७

१२
५/५/१७

(25/17)

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
5. उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति की जा रही धनराशि को सम्बन्धित इडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी० हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही की जायेगी।
8. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
10. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
11. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
12. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निष्पोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना भी सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदाती संस्था से एमओओयू० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात् सुनिश्चित करें। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एमओओयू०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
14. स्वीकृति धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाये-0101-राजीव आवास योजना (के.50/रा.50-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राम नेवास)
विशेष सचिव।

संख्या-13६/2017/1574(1)/69-1-17-20(आरएवाई-83)/2013, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाती हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।